रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1971/पौष 11, 1892

No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1971/PAUSA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st January 1971

S.O. 99.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of Custom Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the following notifications, namely:—

1. Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 179/F. No. 80/120/66-LCI dated the 1st October, 1966.
2. Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 112/80/67-LCI dated the 10th November, 1967.

[No. 5-Customs.]

[No. F. 80/276/70-LCI.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1971

एस० ओ० 99.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात्—

(1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना सं० 179/फा० सं० 80/120/66–एल० सी० I, तारीख 1 अक्तूबर, 1966 ।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना सं० 112/80/67–एल० सी० I तारीख 10 नवम्बर, 1967 ।

[सं० 5/फा० सं० 80/276/70 एल० सी० I]

S.O. 100.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following goods, when wholly produced in Nepal and imported into India from Nepal, from the payment of that portion of customs duty which is leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), namely;—

1. Agricultural, horticultural and forest produce and minerals which have not undergone any processing.
2. Rice, pulses and flour.
3. Timber.
4. Jaggery (gur and shakkar).
5. Animals, birds and fish.
6. Bees, bees wax and honey.
7. Raw wool, goat hair and bones as are used in the manufacture of bonemeal.
8. Milk, home made products of milk and eggs.
9. Ghani-produced oil and oil cakes.
10. Ayurvedic and herbal madicines.
11. Articles produced by village artisans as are mainly used in villages.

[No. 6-Customs/F. No. 80/277/70-LCI.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

एस० ओ० 100.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि यह लोक हित में आवश्यक है एतद्द्वारा निम्नलिखित माल को, जब कि वे पूर्णतः नेपाल में उत्पादित किए गए हों और नेपाल से भारत में आयात किए जायें, सीमा शुल्क के उस प्रभाग के संदाय से जो भारतीय टैरिफ अधिनियम (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय है, छूट देती है; अर्थात् :—

1. कृषि, उद्यान और वन के उत्पाद तथा खनिज, जिनका कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है ।
2. चावल, दाल और आटा ।

3. काष्ठ ।

4. जैगरी (गुड़ और शक्कर) ।

5. पशु, चिड़िया और मछली ।

6. मधुमक्खी, मोम और मधु ।

7. कच्चा ऊन, बकरी के बाल और हड्डियां, जिनका प्रयोग हड्डी खाद के विनिर्माण में किया जाता है ।

8. दूध, दूध और अंडों के गृह-उत्पाद ।

9. घानी में उत्पादित तेल और खली ।

10. आयुर्वेदिक और शाक औषधियां ।

11. ग्रामीण कारीगरों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुएं, जो मुख्यतः गांवों में प्रयुक्त की जाती हैं ।

[सं० 6/फा० सं० 80/277/70-एल० सी० I]

एम० जी० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970